



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092020-221939
CG-DL-E-24092020-221939

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2914]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2020/आश्विन 2, 1942

No. 2914]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2020/ASVINA 2, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2020

का.आ. 3262(अ).—जबकि, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) की धारा (1) की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 17, 18, 19, 56 और 57 के उपबंध दिनांक 2 सितम्बर, 2019 को भारत के राजपत्र, आसाधारण, भाग-II खंड-3 उप-खंड (ii) में प्रकाशित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 3162(अ) के तहत 2 सितम्बर, 2019 से प्रवृत्त हुए थे।

अब, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग परिषद अधिनियम, 2019 (2019 का 30) के शेष सभी अनुबंध 25 सितम्बर, 2020 से प्रवृत्त हो जाएंगे।

[सं. वी. 11013/01/2019-एमईपी (भाग II)]

निपुण विनायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(Department of Health and Family Welfare)
NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2020

S.O. 3262(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of the section 1 of the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019), the provisions of sections 3, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 17, 18, 19, 56 and 57 of the said Act were brought into force with effect from the 2nd day of September, 2019 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare number S.O. 3162(E), dated 2nd September, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of the section 1 of the said Act, the Central Government hereby notifies that all the remaining provisions of the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019) shall come into force with effect from the 25th day of September, 2020.

[No. V.11013/01/2019-MEP (Pt.II)]

NIPUN VINAYAK, Jt. Secy.